

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर—द्वितीय

क्रमांक : स्था0 / 11 / 2022 / 5644

दिनांक : 29 / 11 / 2023

संशोधित आदेश

इस न्यायक्षेत्र से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी श्री सहदेव सिंह देवल, लिपिक ग्रेड-आ को पूर्व में उनके नाम के आगे अंकित दिनांक को 27 वर्षीय तृतीय एसीपी के फलस्वरूप संबंधित न्यायक्षेत्र, जिसका उल्लेख तालिका के कॉलम सं0 03 में किया गया है, के द्वारा तत्समय नियमों के अन्तर्गत वेतनस्थिरीकरण संबंधी आदेश जारी किये गये थे, को राज्य सरकार के वित्त विभाग के द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक F.14(88)FD/Rules/2008 दिनांकित 27.02.2022 एवं एक अन्य आदेश क्रमांक प.15(88)वित्त/नियम/2017 जयपुर, दिनांक 30 मई 2022 के अनुसरण में कॉलम A में व F.15(1)FD/Rules/2017 Part-II दिनांकित 26.07.2023 एवं उक्त आदेश के स्पष्टीकरण दिनांकित 01.08.2023 के अनुसरण में कॉलम B में एतत् द्वारा उक्त पूर्व वेतनस्थिरीकरण को निम्नानुसार संशोधित/स्वीकृत किया जाता है:-

क.सं.	नाम कर्मचारी मय पद व न्यायालय का नाम	पूर्व में संबंधित न्यायक्षेत्र द्वारा स्वीकृत चयनित वेतनमान/एसीपी का विवरण	चयनित वेतनमान/ ए.सी.पी की दिनांक से पूर्व प्राप्त मूल वेतन एवं पे-लेवल	विद्यमान पे-लेवल में एक वेतनवृद्धि जोड़ते हुए आगामी मूल वेतन	<p style="text-align: center;">A</p> राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.14(88)FD/Rules/2008 दिनांकित 27.02.2022 एवं प15(88)वित्त/नियम/2017 जयपुर, दिनांक 30 मई 2022 के अनुसार	<p style="text-align: center;">B</p> राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.15(1)FD/Rules/2017 Part-II दिनांकित 26.07.2023 एवं स्पष्टीकरण दिनांकित 01.08.2023 के अनुसार	आगामी वेतनवृद्धि की दिनांक	विशेष टिप्पणी		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
1.	श्री सहदेव सिंह देवल, सेवानिवृत्त लिपिक ग्रेड-आ, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम सं0 05 जयपुर महानगर-आ प्रथम नियुक्ति दि. 30.03.1992 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां स्था/03/2015/1438 दि. 25.11.2019	30.03.2019 (27 वर्ष) 35400/- (L-06)	30.03.2019 (27 वर्ष) 34300/- (L-05)	35300/- (L-05)	30.03.2019 (27 वर्ष) 35300/- (L-08)	100/-	30.03.2019 (27 वर्ष) 36400/- (L-08)	01.07.2019	श्री सहदेव सिंह देवल इस न्यायक्षेत्र से दिनांक 31.10.2021 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

- 31 -
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर द्वितीय

नोट:-

उपरोक्त तालिका में कॉलम A के अनुसार संबंधित कर्मचारी के वेतनस्थिरीकरण किये जाने के क्रम में निम्नानुसार बिन्दुओं की पालना की जावे:-

01. उपरोक्त तालिका में उल्लेखित कर्मचारी को राज्य सरकार के वित्त विभाग के द्वारा आदेश दिनांकित 27.02.2022 व दिनांकित 30.05.2022 के अनुसार संशोधित वेतनस्थिरीकरण पर मूल वेतन की अन्तर राशि व्यक्तिगत वेतन के रूप में कॉलम सं0 08 के अनुसार देय होगी तथा नियमानुसार यह व्यक्तिगत वेतन उक्त कर्मचारी को दिनांक 01.07.2022 को स्वीकृत की जाने वाली वार्षिक वेतनवृद्धि की राशि में समायोजित की जाने से पूर्व ही श्री देवल दिनांक 31.10.2021 को सेवानिवृत्त हो जाने पर व्यक्तिगत वेतन मूलवेतन के साथ सेवानिवृत्ति दिनांक 31.10.2021 तक पृथक से दिखाया जावेगा।
02. उपरोक्तानुसार राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांकित 27.02.2022 व दिनांकित 30 मई 2022 के अनुसार व्यक्तिगत वेतन पर मंहगाई भत्ता व मकान किराया भत्ता देय नहीं होने के कारण नियमानुसार दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 27.02.2022 के मध्य पूर्व में स्वीकृत की गई एसीपी की तिथि से दिनांक 27.02.2022 तक भुगतान किये जा चुके मंहगाई भत्ते व मकान किराये भत्ते की राशि वसूलनीय नहीं होने से श्री देवल से सेवानिवृत्ति दिनांक 31.10.2021 तक अधिक भुगतान की राशि नियमानुसार वसूल नहीं की जावेगी।

उपरोक्त तालिका में कॉलम B के अनुसार संबंधित कर्मचारी के वेतनस्थिरीकरण किये जाने के क्रम में निम्नानुसार बिन्दुओं की पालना की जावे:-

01. प्रथमतः कॉलम A की पूर्ति की जावेगी।
02. तत्पश्चात् उपरोक्त तालिका में उल्लेखित संबंधित कर्मचारी को राज्य सरकार के वित्त विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना/आदेश दिनांकित 26.07.2023 व 01.08.2023 के अनुसार एसीपी की दिनांक को उनके नाम के सम्मुख उक्त अधिसूचना के अनुसार कॉलम B में वेतनस्थिरीकरण नियमानुसार देय तिथि को संशोधित किया जाता है, उक्त अधिसूचना अनुसार कॉलम B में संशोधित वेतनस्थिरीकरण किये जाने पर देय दिनांक से आगामी वेतनवृद्धियों को संशोधित/स्वीकृत करते हुए दिनांक 31.03.2023 तक का कोई एरियर कर्मचारी को देय नहीं होने से श्री देवल को सेवानिवृत्ति दिनांक 31.10.2021 तक का कोई एरियर देय नहीं होगा।
03. उक्त आदेश का इन्द्राज कर्मचारी की सेवापुस्तिका में किया जावे।

➤ उपरोक्त संशोधित आदेश की कार्यवाही पूर्ण कर संशोधित पेंशन स्वीकृति के क्रम में भी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे।

- sd -

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर-द्वितीय

दिनांक : 29/11/2023

क्रमांक : स्था0/11/2022/.....5645
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-द्वितीय।
02. श्रीमान् कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर।
03. न्यायालय अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम सं0 05, जयपुर महानगर-द्वितीय।(संलग्न सेवापुस्तिका)
04. संबंधित कर्मचारी श्री सहदेव सिंह देवल, सेवानिवृत्त लिपिक ग्रेड-II।
05. सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
06. आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर-द्वितीय